



प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-468/नौ-104(मुख्यालय)/2026-27, दिनांक 08-04-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक मत देय में रु० 1501.11 लाख (रु० पन्द्रह करोड़ एक लाख ग्यारह हजार मात्र) एवं 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर मतदेय में रु० 20386.73 लाख (रु० दो अरब तीन करोड़ छियासी लाख तिहत्तर हजार मात्र), 03-मुख्यालय मतदेय में रु० 9743.35 लाख (रुपये सत्तानबे करोड़ तिरालीस लाख पैतीस हजार मात्र), 04-जिला व्यय मतदेय में रु० 25243.51 लाख (रुपये दो अरब बावन करोड़ तिरालीस लाख इक्यावन हजार मात्र), 06-उप निबन्धक कार्यालयों में रेंटल बेसिस पर 10 एम०बी०पी०एस० की लीज़ लाइन मतदेय में रु० 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) तथा लेखाशीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य (29-अनुरक्षण) मतदेय में रु० 800.00 लाख (रुपये आठ करोड़ मात्र) इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रु० 57874.70 लाख (रुपये पाँच अरब अठहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबंधों

1- उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैनुअल में दिए गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फ़ाइनेन्शिएल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2030010010300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030010010300 अधिष्ठान	01 वेतन	25,75,000 (रुपये पच्चीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	091	2030010010300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	16,74,000 (रुपये सोलह लाख चौहत्तर हजार मात्र)
3	091	2030010010300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
4	091	2030010010300 अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
5	091	2030010010300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
6	091	2030010010300 अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
7	091	2030010010300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	091	2030010010300 अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
9	091	2030010010300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
10	091	2030010010300 अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
11	091	2030010010300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
12	091	2030010010300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
13	091	2030010010300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14	091	2030010010300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
15	091	2030010010300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	1,65,000 (रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र)
16	091	2030010010300 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			51,11,000 (रुपये इक्कावन लाख ग्यारह हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030011010300 (न्यायिक स्टाप)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030011010300 न्यायिक स्टाप	42 अन्य व्यय	12,50,00,000 (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			12,50,00,000 (रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030011020300 (न्यायिक स्टाम्प)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030011020300 न्यायिक स्टाम्प	42 अन्य व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030020010300 (अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030020010300 अधिष्ठान	01 वेतन	92,70,000 (रुपये बानबे लाख सत्तर हजार मात्र)
2	091	2030020010300 अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	60,26,000 (रुपये साठ लाख छब्बीस हजार मात्र)
3	091	2030020010300 अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	091	2030020010300 अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
5	091	2030020010300 अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
6	091	2030020010300 अधिष्ठान	07 मानदेय	11,000 (रुपये ग्यारह हजार मात्र)
7	091	2030020010300 अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	7,70,000 (रुपये सात लाख सत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8	091	2030020010300 अधिष्ठान	09 विद्युत देय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
9	091	2030020010300 अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,75,000 (रुपये दो लाख पचहत्तर हजार मात्र)
10	091	2030020010300 अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	091	2030020010300 अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
12	091	2030020010300 अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
13	091	2030020010300 अधिष्ठान	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5,000 (रुपये पाँच हजार मात्र)
14	091	2030020010300 अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
15	091	2030020010300 अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
16	091	2030020010300 अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
17	091	2030020010300 अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	70,000 (रुपये सत्तर हजार मात्र)
18	091	2030020010300 अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	091	2030020010300 अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	091	2030020010300 अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	15,000 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)
21	091	2030020010300 अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
22	091	2030020010300 अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
	कुल			1,86,73,000 (रुपये एक करोड़ छियासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030021010300 (गैर अदालती स्टाम्प-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030021010300	42	50,00,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		गैर अदालती स्टाम्प-	अन्य व्यय	(रुपये पचास करोड़ मात्र)
	कुल			50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030021020300 (गैर अदालती स्टाम्प-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030021020300 गैर अदालती स्टाम्प-	42 अन्य व्यय	1,50,00,00,000 (रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र)
	कुल			1,50,00,00,000 (रुपये एक अरब पचास करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030028000300 (निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030028000300 निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण-	42 अन्य व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030030010300 (मुख्यालय-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010300 मुख्यालय-	01 वेतन	32,00,00,000 (रुपये बत्तीस करोड़ मात्र)
2	091	2030030010300 मुख्यालय-	02 मजदूरी	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	091	2030030010300 मुख्यालय-	03 मंहगाई भत्ता	20,80,00,000 (रुपये बीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)
4	091	2030030010300 मुख्यालय-	04 यात्रा व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
5	091	2030030010300 मुख्यालय-	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
6	091	2030030010300 मुख्यालय-	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	091	2030030010300 मुख्यालय-	07 मानदेय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8	091	2030030010300 मुख्यालय-	08 कार्यालय व्यय	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
9	091	2030030010300 मुख्यालय-	09 विद्युत देय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
10	091	2030030010300 मुख्यालय-	10 जलकर/ जल प्रभार	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
11	091	2030030010300 मुख्यालय-	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
12	091	2030030010300 मुख्यालय-	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
13	091	2030030010300 मुख्यालय-	13 टेलीफोन पर व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
14	091	2030030010300 मुख्यालय-	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
15	091	2030030010300 मुख्यालय-	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)
16	091	2030030010300 मुख्यालय-	17 किराया, उपशुल्क और कर- स्वामिस्व	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
17	091	2030030010300 मुख्यालय-	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
18	091	2030030010300 मुख्यालय-	23 गुप्त सेवा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	091	2030030010300 मुख्यालय-	42 अन्य व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
20	091	2030030010300 मुख्यालय-	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
21	091	2030030010300 मुख्यालय-	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
22	091	2030030010300 मुख्यालय-	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र)
23	091	2030030010300	47	45,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		मुख्यालय-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	(रुपये पैतालीस लाख मात्र)
24	091	2030030010300 मुख्यालय-	49 चिकित्सा व्यय	35,00,000 (रुपये पैतीस लाख मात्र)
25	091	2030030010300 मुख्यालय-	51 वर्दी व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
26	091	2030030010300 मुख्यालय-	55 मकान किराया भत्ता	2,30,00,000 (रुपये दो करोड़ तीस लाख मात्र)
27	091	2030030010300 मुख्यालय-	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			97,43,35,000 (रुपये सत्तानबे करोड़ तैंतालीस लाख पैतीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030030010400 (जिला व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010400 जिला व्यय	01 वेतन	1,10,00,00,000 (रुपये एक अरब दस करोड़ मात्र)
2	091	2030030010400 जिला व्यय	02 मजदूरी	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	091	2030030010400 जिला व्यय	03 मंहगाई भत्ता	71,50,00,000 (रुपये इकहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र)
4	091	2030030010400 जिला व्यय	04 यात्रा व्यय	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
5	091	2030030010400 जिला व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
6	091	2030030010400 जिला व्यय	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	091	2030030010400 जिला व्यय	07 मानदेय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
8	091	2030030010400 जिला व्यय	08 कार्यालय व्यय	5,50,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)
9	091	2030030010400 जिला व्यय	09 विद्युत देय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
10	091	2030030010400	10	10,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		जिला व्यय	जलकर/ जल प्रभार	(रुपये दस लाख मात्र)
11	091	2030030010400 जिला व्यय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
12	091	2030030010400 जिला व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
13	091	2030030010400 जिला व्यय	13 टेलीफोन पर व्यय	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
14	091	2030030010400 जिला व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
15	091	2030030010400 जिला व्यय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
16	091	2030030010400 जिला व्यय	17 किराया, उपशुल्क और कर- स्वामिस्व	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
17	091	2030030010400 जिला व्यय	42 अन्य व्यय	5,01,000 (रुपये पाँच लाख एक हजार मात्र)
18	091	2030030010400 जिला व्यय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
19	091	2030030010400 जिला व्यय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
20	091	2030030010400 जिला व्यय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र)
21	091	2030030010400 जिला व्यय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,80,00,000 (रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र)
22	091	2030030010400 जिला व्यय	49 चिकित्सा व्यय	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
23	091	2030030010400 जिला व्यय	51 वर्दी व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
24	091	2030030010400 जिला व्यय	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

25	091	2030030010400 जिला व्यय	55 मकान किराया भत्ता	7,20,00,000 (रुपये सात करोड़ बीस लाख मात्र)
26	091	2030030010400 जिला व्यय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	43,00,00,000 (रुपये तैंतालीस करोड़ मात्र)
	कुल			2,52,43,51,000 (रुपये दो अरब बावन करोड़ तैंतालीस लाख इक्यावन हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2030030010600 (उप निबन्धक कार्यालयों में रेंटल बेसिस पर 10 एम0बी0पी0एस0 की लीज लाइन लगाया जाना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010600 उप निबन्धक कार्यालयों में रेंटल बेसिस पर 10 एम0बी0पी0एस0 की लीज लाइन लगाया जाना	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2059010510300 (अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2059010510300 अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव	29 अनुरक्षण	8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
	कुल			8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
महायोग		5,78,74,70,000 (रुपये पाँच अरब अठहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2026/816(1)/94-1-2026-312(177)/2025, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/ द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।

- 5- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।